

प्रेषक

सेवा में,

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

1. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
3. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमिकल) हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
11. कल्याण अधिकारी (महिला) पानीपत।

क्रमांक: स्था0/01/2018/ 33694-785

दिनांक: 3-10-18.

Subject:-

Training Programme on Effective Labour Law Enforcement from Oct, 29-November 02, 2018 at VVGNLI Campus, Nodia.


\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संबंध में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय से प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचित किया गया है कि विषय संबंधी मामलों में अक्टूबर-29 से नवम्बर-2, 2018 के दौरान प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम केंद्रीय तथा राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। यह एक उपयोगिता आधारित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य प्रवर्तन अधिकारियों की प्रवर्तन क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। यह एक निः शुल्क कार्यक्रम है, जबकि यात्रा व्यय का वहन प्रायोजक कार्यालय को करना होगा। अतः उन द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए विभाग से 5 अधिकारियों को नामित करने का कष्ट करें, नामांकन शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमन्त्रालय अक्टूबर 17, 2018 तक भेजने का कष्ट करें।

अतः आपको महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय से प्राप्त पत्र की प्रति भेजकर अनुरोध किया जाता है कि यदि आप उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक हैं तो अपनी सहमति पत्र प्राप्ति के दो दिन के अन्दर-2 ई-मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मामलों में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

संलग्न: उपरोक्त

  
उप अधीक्षक (स्था0),  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

**V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE**

(An Autonomous Body of Ministry of Labour and Employment, Government of India)



Tel. : 0120-2411 470

Fax : 0120-2411 474

E-mail : dg.vvgnli@gov.in

Website : vvgnli.gov.in

डॉ. एच. श्रीनिवास, भारेका से

महानिदेशक

**Dr. H. Srinivas, IRPS**

Director General

PRG/LAP/09/18

August 13, 2018

**Subject Training Programme on Effective Labour Law Enforcement from October 29 - November 02, 2018 at VVGNI Campus, NOIDA**

Dear Sir/Madam,

We are pleased to inform you that the V.V. Giri National Labour Institute would be organising a training programme on **"Effective Labour Law Enforcement"** from **October 29-November 02, 2018** at the Institute's Campus at NOIDA.

The programme has been designed for the Officers of Central and State Labour Departments. It is utility based programme which aims at enhancing enforcement competence and skills of Enforcement Officers. Apart from lectures and group discussions, participants will also be exposed to various other experiential exercises.

There is no programme fee. The Institute will provide free of charge Boarding & Lodging facility to the participants during training period. **However, travel expenses will be borne by the sponsoring organization.**

It is requested to nominate 05 suitable officers from your department to participate in this programme. Please send your nominations at the earliest and preferably before **October 17, 2018.**

With regards,

Yours sincerely,

(Dr. H. Srinivas)

To

- Chief Labour Commissioner (C)
- Labour Secretaries & Labour Commissioners

Sector-24, NOIDA-201301, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, INDIA

To Dial VVGNI, NOIDA, prefix 0120 from other places in India and 0091-120 from International Destinations